

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क्रमांक :- 439/2014)

(संस्थित दिनांक :- 03/06/2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. दाताराम जाटव पुत्र बारेलाल जाटव उम्र 52 वर्ष
  02. सुरेश जाटव पुत्र दाताराम जाटव उम्र 23 वर्ष
  03. रघुवीर जाटव पुत्र दाताराम जाटव उम्र 21 वर्ष
- निवासीगण :- इन्द्रा आवास कॉलोनी तुकैड़ा मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
- ..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

( आज दिनांक : 09/11/2016 को घोषित )

01. अभियुक्तगण दाताराम, सुरेश एवं रघुवीर पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी भीकाराम सिंह के खेत के पास आम रास्ता चक तुकैड़ा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी भीकाराम को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भीकाराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रघुवीर ने फरियादी भीकाराम को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्तगण सुरेश एवं दाताराम ने लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की एवं फरियादी भीकाराम को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 25/02/2014 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी भीकाराम सिंह के खेत के पास आम रास्ता चक तुकैड़ा में, आरोपीगण द्वारा गाली-गलौच करने, फरियादी भीकाराम की धारदार आयुध कुल्हाड़ी एवं लात-घूसों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी भीकाराम द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने

पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 51/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323, 324 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपी रघुवीर से एक लोहे की कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी भीकाराम, साक्षी करुआ जाटव, प्रेम जाटव एवं विजय सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी भीकाराम सिंह के खेत के पास आम रास्ता चक तुकेड़ा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी भीकाराम को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भीकाराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रघुवीर ने फरियादी भीकाराम को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्तगण सुरेश एवं दाताराम ने लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भीकाराम को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी भीकाराम अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रघुवीर जाटव, सुरेश जाटव, दाताराम जाटव को जानता है, क्योंकि सभी आरोपीगण उसके पड़ोसी हैं। साक्षी आगे कहता है कि झगड़ा फाल्गुन के महीने का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/04/2015 से लगभग एक साल पहले का है। उसके खेत के पास आरोपीगण का भी खेत है, उसका पानी देने की बात पर आरोपीगण से पूर्व से विवाद चल रहा था, उसने उस दिन खेत में सरसों काटने के लिए सुबह 07-07:30 बजे जा रहा था। वह वहाँ पहुँचा तो दाताराम ने माँ-बहन की गालियाँ दी तथा रघुवीर ने उसके कुल्हाड़ी मारी, जो उसके सिर में लगी और उसके बाद तीनों ने उसे पटक लिया और लात-घूसों से उसकी मारपीट की। वह चिल्लाया तो उसके भाई प्रेमा और कलुआ आ गये, जिन्होंने घटना देखी एवं बीच-बचाव कराया। जिसके बाद उसने थाना मालनपुर में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद अस्पताल में उसका गोहद में ईलाज हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी तथा लात-घूसों से मारने करने के संबंध में सारतः पुष्टि उसके द्वारा घटना की यथासंभव शीघ्र उसी दिन प्रातः 10:10 बजे थाना मालनपुर पर लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। इस वावत् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक उप निरीक्षक मदन दुबे अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी फरियादी भीकाराम अ.सा.01 द्वारा दिनांक : 25/02/2014 को आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध कराई जाने के तथ्य की पुष्टि हो रही है। इस वावत् मदन मदन दुबे अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में भीकाराम अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि झगड़े से पहले उसने आरोपी रघुवीर को लाठी तथा उसके भतीजे करुआ अ.सा.03 ने आरोपी रघुवीर को कुल्हाड़ी मारी थी, जिससे उसका सिर फट गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में प्रेम सिंह अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने भीकाराम एवं करुआ ने आरोपी रघुवीर की मारपीट की थी, जिसकी रघुवीर ने रिपोर्ट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उक्त रिपोर्ट से बचने के लिए भीकाराम ने हस्तगत प्रकरण में

झूठी रिपोर्ट की है। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि फरियादी भीकाराम अ.सा.01 या उसके भतीजे अ.सा.03 द्वारा आरोपीगण की मारपीट की गई हो। इसलिए उक्त तथ्यों को सत्य नहीं माना जा सकता। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में भीकाराम अ.सा.01 ने पुनः दोहराया है कि आरोपी रघुवीर ने कुल्हाड़ी उसके सीधी तरफ से मारी थी, उसने आरोपी रघुवीर को पास से ही देखा था, कुल्हाड़ी का बेट डेढ़ हाथ का था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में भीकाराम अ.सा.01 का यह कहना है कि उक्त कुल्हाड़ी का फल कितना लम्बा-चौड़ा था, उसने नहीं देखा था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसकी कोई मारपीट नहीं की। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि खेत में गिरने से सरसों का डूढ़ साक्षी के सिर में बैठ गया, जिससे उसे सिर में चोट आई। साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.02 ने भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि भीकाराम सरसों के डूढ़ पर गिर गया था, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि सरसों के खेत में गिरने से सरसों का डूढ़ सिर में लग जाने से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के सिर में चोट आई थी। इस प्रकार आरोपी रघुवीर द्वारा कुल्हाड़ी से सिर में चोट पहुँचाने तथा शेष दो आरोपीगण द्वारा लात-घूसों से फरियादी भीकाराम की मारपीट करने के संबंध में फरियादी भीकाराम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

10. साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रघुवीर जाटव, सुरेश जाटव, दाताराम जाटव तीनों आरोपीगण को जानता है, क्योंकि सभी आरोपीगण उसके पड़ोसी हैं। वह फरियादी भीकाराम को भी जानता है, वह उसका भाई है। साक्षी आगे कहता है कि झगड़ा फाल्गुन के महीने का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/04/2015 से लगभग एक साल पहले का है। उस दिन वह खेत पर सरसों काटने के लिए उसके लड़के करुआ के साथ जा रहा था। भीकाराम उससे आगे था, वह उसके पीछे था। साक्षी आगे कहता है कि पानी देने की बात पर झगड़ा हुआ था, तब भीकाराम को दाताराम एवं रघुवीर ने माँ-बहन की गालियाँ दीं। दाताराम ने भीकाराम को लाठी मारी थी, जो पीठ में लगी और रघुवीर ने कुल्हाड़ी मारी, जो सिर में बाईं तरफ लगी और उसके बाद तीनों आरोपीगण ने उसके भाई को पटक लिया और लात-घूसों से उसकी मारपीट की। फिर वह एवं उसका बेटा करुआ बचाने के लिए दौड़ा। साक्षी आगे कहता है कि घटना के बाद वह अपने भाई भीकाराम के साथ थाना मालनपुर गया था और ईलाज के लिए भीकाराम को अस्पताल गोहद पुलिस ने भेजा था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रेम सिंह अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसे झगड़े वाली बात फरियादी भीकाराम अ.सा. 01 ने बताई थी तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि मैं वहाँ पहुँच गया था, इसका अर्थ यह है कि प्रेम सिंह अ.सा.02 झगड़े के समय घटनास्थल पर मौजूद था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में प्रेम सिंह अ.सा.02 का कहना है कि उसने रघुवीर को कुल्हाड़ी मारते हुए देखा था, कुल्हाड़ी का बेट एक-डेढ़ हाथ का था और फल पाँच अंगुल का था। साक्षी आगे कहता है कि उसने कुल्हाड़ी की चोट कारित होते दस-बारह हाथ दूर से देखी थी। इस प्रकार आरोपी रघुवीर द्वारा कुल्हाड़ी से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के सिर में चोट पहुँचाने तथा शेष दो आरोपीगण द्वारा फरियादी भीकाराम अ.सा.01 की लात-घूसों से मारपीट करने के संबंध में साक्षी प्रेम सिंह अ.सा. 02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

12. साक्षी कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, आरोपीगण उसके गांव के है। घटना 25 फरवरी 2014 की सुबह 08 बजे की है। वह सरसों काटने जा रहा था, उसके साथ उसके पापा भी सरसों काटने जा रहे थे तथा उसके ताऊ उसके आगे सरसों काटने जा रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि दाताराम, सुरेश एवं रघुवीर ने उससे गाली-गलौच की थी। आरोपी सुरेश ने उसके पापा को कुल्हाड़ी मारी थी, दाताराम एवं रघुवीर ने डाल लिया और लात-घूसों से मारपीट की एवं रघुवीर ने उसके पापा/ताऊ भीकाराम के सिर में कुल्हाड़ी पीछे से मारी थी, इसके बाद वह आ गया था तो आरोपीगण भाग गये थे। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 का कहना है कि घटना उसकी आँखों के सामने हुई थी। उस समय रघुवीर पर कुल्हाड़ी, दाताराम पर लाठी एवं सुरेश के पास फरसा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 का कहना है कि जब वह तथा उसका पिता प्रेम सिंह ताऊ भीकाराम अ.सा.01 के पास गये, तब तक आरोपीगण भाग चुके थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण उसके सामने ही भागे थे और उसने ताऊ भीकाराम की मारपीट होते हुए देखी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 का कहना है कि कुल्हाड़ी का फल उसने देखा था वह चार अंगुल का था और बेट लगभग दो हाथ का था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में साक्षी कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि भीकाराम उसके ताऊ है इसलिए वह आरोपीगण के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार आरोपी रघुवीर द्वारा कुल्हाड़ी से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के सिर में चोट

पहुँचाने तथा शेष दो आरोपीगण द्वारा फरियादी भीकाराम अ.सा.01 की लात-घूसों से मारपीट करने के संबंध में साक्षी कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 एवं प्रेम सिंह अ.सा.02 के इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है।

14. डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2014 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक क्रमांक 99 आलोक तिवारी द्वारा लाये जाने पर आहत भीकाराम पुत्र बिहारी उम्र 60 वर्ष, निवासी चक तुकेड़ा, का परीक्षण करने पर उसके एक कटा हुआ घाव जो कि सिर के मध्य में पैराइटल रीजन में था, जो कि सामान्तर था, जिसमें से खून बह रहा था, जिसके मार्जन धारदार थे, जिसके एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी थी। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 का कहना है कि आहत को आई चोट क्रमांक 01 कठोर एवं धारदार वस्तु से उसके परीक्षण के 06 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आहत का एक्स-रे परीक्षण करने पर कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में डॉ.धीरज गुप्ता 05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार पत्थर पर गिर के बल गिर जाये तो आहत को आई चोट जैसी चोट आना संभव है। परन्तु आरोपी अधिवक्ता द्वारा फरियादी भीकाराम अ.सा.01, प्रेम सिंह अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सरसों के डूढ़ पर फरियादी के गिर जाने से चोट आने संबंधी सुझाव दिये गये हैं। इस प्रकार उनके द्वारा फरियादी भीकाराम अ.सा.01, प्रेम सिंह अ.सा.02 तथा डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 को दिये गये सुझाव ही विरोधाभाषपूर्ण हैं। आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह दर्शित होता हो कि आहत भीकाराम अ.सा.01 को घटना दिनांक एवं समय पर सरसों के डूढ़ पर गिरने या सिर के बल किसी धारदार पत्थर पर गिरने से सिर में चोट कारित हुई हो। इस प्रकार डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 एवं एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से फरियादी भीकाराम अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि होती है कि दिनांक : 25/02/2014 को डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के छः घण्टे के भीतर उसके सिर में धारदार आयुध से चोट कारित हुई थी।

15. अभियोजन साक्षी अभिलाख सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/02/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 51/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 324 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 26/02/2014 को साक्षी प्रेमा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी. 02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षी करुआ जाटव, प्रेमा जाटव एवं विजय सिंह जाटव के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे तथा शेष विवेचना हेतु केस डायरी श्रीनिवास यादव को सौंप दी थी। इस प्रकार अभिलाख सिंह न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई विवेचना के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है।

16. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 26/04/2014 को पुलिस थाना मालनपुर में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे पूर्व विवेचक अभिलाख सिंह का स्थानांतरण होने से उक्त अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी भीकाराम का कथन लिया था। तत्पश्चात् आरोपी दाताराम जाटव, सुरेश जाटव एवं रघुवीर जाटव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.05 लगायत प्र.पी.07 बनाये थे, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी रघुवीर जाटव के द्वारा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी प्रस्तुत करने पर साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में श्रीनिवास अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी से कुल्हाड़ी जब्त नहीं की थी। इस प्रकार विवेचक श्रीनिवास अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गई विवेचना एवं आरोपी रघुवीर से कुल्हाड़ी जब्त किये जाने के संबंध में तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है, जिससे अभियोजन कथा की पुष्टि होती है।

17. फरियादी भीकाराम अ.सा.01 उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में मात्र आरोपी दाताराम द्वारा उससे गाली-गलौच करने का तथ्य बताता है, जबकि उसका भाई प्रेम सिंह अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में आरोपी दाताराम एवं रघुवीर द्वारा गाली-गलौच करने का तथ्य बताया है और इसके विपरीत फरियादी भीकाराम अ.सा.01 का भतीजा कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में आरोपीगण दाताराम, सुरेश एवं रघुवीर द्वारा फरियादी भीकाराम से गाली-गलौच न कर स्वयं उससे गाली-गलौच करने का तथ्य बताता है। इस प्रकार आरोपीगण में से किसके द्वारा गाली-गलौच की गई और उक्त

गाली-गलौच फरियादी भीकाराम से की गई या साक्षी कल्याण उर्फ करुआ से की गई, इस वावत् फरियादी भीकाराम अ.सा.01, साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.02 तथा कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

18. फरियादी भीकाराम अ.सा.01, साक्षी प्रेम सिंह अ.सा.02 तथा कल्याण उर्फ करुआ अ.सा.03 में से किसी ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपीगण या उनमें से किसी एक के द्वारा फरियादी भीकाराम अ.सा.01 को जान से मारने की धमकी देने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी रघुवीर ने दिनांक :- 25/02/2014 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी भीकाराम सिंह के खेत के पास आम रास्ता चक तुकेड़ा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भीकाराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में अभियुक्त रघुवीर ने फरियादी भीकाराम को धारदार आयुध कुल्हाड़ी से एवं अभियुक्तगण सुरेश एवं दाताराम ने लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/02/2014 को सुबह लगभग 07:30 बजे फरियादी भीकाराम सिंह के खेत के पास आम रास्ता चक तुकेड़ा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी भीकाराम को गाली-गलौच कर क्षोभ कारित किया एवं फरियादी भीकाराम को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

### अंतिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रघुवीर, दाताराम एवं सुरेश के विरुद्ध धारा 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 323/34 एवं 324/34 भा.द.सं. के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है। परन्तु अभियोजन आरोपीगण रघुवीर, दाताराम एवं सुरेश के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।



22. आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपीगण द्वारा किये गये कृत्य से समूह बनाकर मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता है।

23. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के अधिवक्ता को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

24. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.बी.पाराशर को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण अधिवक्ता का कहना है कि आरोपीगण कम पढ़े-लिखे, ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं गरीब व्यक्ति हैं, जिनसे से आरोपी दाताराम वृद्ध एवं असहाय है, यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है। आरोपीगण उनके परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति है, इसलिए आरोपीगण को मात्र न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये। न्यायालय आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्कों के सद्भाविक प्रतीत न होने के कारण पूर्णतः सहमत नहीं है। फलतः आरोपीगण दाताराम, सुरेश एवं रघुवीर को भा.द.सं. की धारा 323/34 के आरोप के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदण्ड से एवं भा.द.सं. की धारा 324/34 के आरोप के लिए आरोपी रघुवीर को 06 माह सश्रम कारावास एवं 200 रुपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी दाताराम एवं सुरेश को धारा 324/34 के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 200-200 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि अदा न करने पर आरोपीगण को मूल कारावास के दण्डादेश से पृथक 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

25. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी रघुवीर को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।

26. आरोपीगण द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा करने पर उक्त सम्पूर्ण राशि 1200/- रुपये फरियादी/आहत भीकाराम अ.सा.01 को प्रतिकर के रूप में धारा 357 द.प्र.स. के अन्तर्गत अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे।

28. प्रकरण में आरोपी रघुवीर से जब्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद